FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)

[Service Appeal Case No.-112/2026

Ashwani Kumar Sinha.....Appellant

Versus

State of Bihar & Others.....Respondents

Serial No.	Date of order of procedding	Order with signature of the court	Office action taken with date
1	2	3	4
	29.9.2026	**आदेश** प्रस्तुत सेवा अपील वाद जिलाधिकारी, सुपौल के आदेश ज्ञापांक 614/स्था0 दिनांक 11.06.2026 द्वारा पारित आदेश जिसके तहत अपीलार्थी श्री अश्विनी कुमार सिंन्हा, तत्कालीन लिपिक, अनुमंडल कार्यालय सुपौल सम्प्रति अंचल कार्यालय पिपरा प्रतिनियुक्त जिला स्थापना शाखा, सुपौल के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के भाग-V के नियम -14(VIII) के तहत ''निम्नतर कालमान वेतन में स्थायी अवनति'' का दंड अधिरोपित किया गया है। **निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का सारांश :-** • अपीलार्थी श्री सिन्हा के विरूद्ध सुपौल थाना कांड सं0-822/2020 दिनांक 06.12.2020 को बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम 2016 की धारा 37(बी0) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। उक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल से प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में जिला पदाधिकारी, सुपौल के आदेश ज्ञापांक-407-2/स्था0, दिनांक-01.06.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने हेतु अपर समाहर्त्ता, सुपौल को संचालन पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्ति किया गया। विभागीय कार्यवाही संचालन के उपरांत संचालन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्त्ता, सुपौल के पत्रांक-937-2, दिनांक-28.03.2026 द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का अधिगम प्राप्त हुआ। • श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रपत्र-क में गठित आरोप यह है कि इन्हें दिनांक-06.12.2020 को संध्या 19:40 बजे नशे की हालात में पुलिस बल के सहयोग से अभिरक्षा में लिया गया। इनके मुहँ से शराब जैसी तेज गंध आ रही थी। जहाँ ब्रेथ एनलाईजर मशीन से जाँच करने पर 630.00 एम0जी0/100 एम0एल0 शराब पीने की पुष्टि हुई। उक्त के आलोक में इनके विरूद्ध सुपौल थाना काडं सं0-822/2020, दिनांक-06.12.2020 को प्राथमिकी दर्ज की गई है। • विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में श्री सिन्हा द्वारा जिलाधिकारी, सुपौल के आदेश ज्ञापांक-197/स्था0, दिनांक-08.03.2025 की प्रति उपलब्ध कराते हुए CWJC NO-7124/2023 (अश्वनी कुमार सिन्हा बनाम राज्य एवं अन्य) में दिनांक-10.01.2025 को पारित आदेश को दृष्टगत करते हुए यह तर्क दिया गया है कि उक्त मामला जो इसके समरूप था, उसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उनकी पूर्व के हुई बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें सभी आर्थिक लाभ का भुगतान किया गया है। पुनः समरूप मामले में इस विभागीय कार्यवाही को संचालित करना विधिसम्मत नहीं है। • संचालन पदाधिकारी अपने अधिगम में यह अंकित करते है कि श्री सिन्हा के विरूद्ध सुपौल थाना कांड सं0-134/2018 में दिनांक-10.03.2018 दर्ज	

आयुक्त न्यायालय कोशी सहरसा सत्यमेव जयते

हुई थी जिसमें श्री सिन्हा शराब के सेवन के कारण गिरफ्तार हुए एवं इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी। वर्त्तमान में श्री सिन्हा के विरूद्ध ब्रेथ ऐनलाईजर मशीन से जाँच करने पर 630.00 एम0जी0/100 एम0एल0 शराब पीने की पुष्टि हुई है। इस आधार पर संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध उक्त आरोप को प्रमाणित माना गया है।

- प्राप्त अधिगम के आलोक में श्री सिन्हा से द्वितीय कारणपृच्छा की माँग की गई एवं उनके द्वारा दिनांक-15.04.2026 को अपना स्पष्टीकरण/बचाव बयान समर्पित किया गया। श्री सिन्हा द्वारा अपने द्वितीय कारणपृच्छा में यह अंकित किया गया है कि उनके द्वारा कभी भी शराब का सेवन नहीं किया गया है और न ही वे करते है। पुलिस पदाधिकारी द्वारा निजी स्वार्थ सिद्धि हेतु मुझे हिरासत में लिया गया था। इसके आलावा उनके द्वारा CWJC NO-7124/2023 (अश्वनी कुमार सिन्हा बनाम राज्य एवं अन्य) में दिनांक-10.01.2025 को पारित आदेश की कंडिका 13, 14 एवं 15 का उल्लेख करते हुए यह तर्क दिया गया है कि ब्रेथ एनलाईजर रिर्पोट को वैज्ञानिक ठोस प्रमाण नहीं माना जा सकता है। हिरासत में लिये जाने के बाद उनका खून, पेशाव का जाँच नहीं कराना इस बात का साक्ष्य है कि पुलिस पदाधिकारी द्वारा निजी स्वार्थ के सिद्धि हेतु उन्हें हिरासत में लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई। उनके विरूद्ध किये गये प्राथमिकी में पुलिस पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गश्ती के क्रम में ब्रह्मस्थान चौक के पास शाम 19.15 बजे यह सूचना मिली की लोहिया नगर चौक के पास एक व्यक्ति शराब के नशे की हालत में है किन्तु पुलिस पदाधिकारी द्वारा सूचित करने वाले व्यक्ति का नाम अपने प्राथमिकी में दर्ज नहीं किया गया है। इस प्रकार श्री सिन्हा के द्वारा मेडिकल रिर्पोट की अनुपलब्धता, ब्रेथ एनलाईजर रिर्पोट पर किसी का भी नाम अंकित नहीं रहना एवं साक्षियों की अनुपलब्धता को आधार बनाकर अपने उपर लगाये सभी आरोप को निराधार बताया गया है।
- समीक्षोपरांत जिलाधिकारी, सुपौल द्वारा उपलब्ध अभिलेखों, जॉच प्रतिवेदन एवं समस्त परिस्थितियों के आलोक में Preponderance of probabilities के आधार पर श्री सिन्हा को प्रमाणित आरोपों के विरूद्ध ''निम्नतर कालमान वेतन में स्थायी अवनति''का दंड अधिरोपित किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं सुनवाई में उपस्थित सरकारी अधिवक्ता को सुना।

पुनरीक्षणकर्त्ता का कथन है कि -

- निम्न न्यायालय आदेश पूर्वाग्रह से ग्रसित है, जिसमें उनके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर विना किसी प्रकार का विचार किये यांत्रिक तरीके से आदेश पारित किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।
- निम्न न्यायालय आदेश में अपीलार्थी के बचाव वयान पर अविश्वास करने का कोई भी स्पष्ट कारण अंकित नहीं है।
- कुछ अधिकारियों के बीच विभागीय प्रतिद्वंदिता, व्याप्त विद्वेश एवं नौकरी संबंधी राजनीति के कारण अपीलार्थी को पूर्व में भी को बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम 2016 की धारा 37(ए0),37(बी0),37(सी0) के तहत सुपौल थाना कांड सं0- 134/2018 में झूठा फसाया गया था। पुनः धारा 37(बी0) के तहत सुपौल थाना कांड सं0-822/2020 में फँसाया गया है। पूर्व में अपीलार्थी के विरूद्ध जो मामला दर्ज हुआ था, उसमें अपीलार्थी को तत्कालीन जिला पदाधिकारी द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था जिसे माननीय उच्च न्यायालय में CWJC NO-7124/2023 में

दिनांक-10.01.2025 को पारित आदेश के द्वारा खारिज करते हुए अपीलार्थी को पुनः सेवा में बहाल करते सभी परिणामी सेवा लाभों के भुगतान हेतु आदेश दिया गया है।

- अपीलार्थी द्वारा हमेशा ही अपने आरोपों का खंडन किया गया है। दूसरी ओर निम्न न्यायालय द्वारा अपराधिक मामला लंवित रहने के बाबजूद अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का यह मामाला निष्पादित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपने बचाव वयान में उक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए अपने बचाव में हमेशा कहा गया है कि प्राथमिकी दर्ज हो जाने मात्र से विभागीय कार्यवाही में आरोपों को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है बल्कि मान्य साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से सिद्ध किया जाना आवश्यक है। इस आशय से निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है जिसमें मान्य साक्ष्यों की अनुपलब्धता की स्थिति में भी आरोपों को प्रमाणित मानते उनके विरूद्ध दंड अधिरोपित किया गया है।
- इस प्रकार अपीलार्थी के द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 11.06.2026 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए उनके विरूद्ध अधिरोपित दंड को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा समर्पित लिखित दावो एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि :-

1. प्रश्नगत मामले में विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु गठित प्रपत्र-क में न तो किसी गवाह का नाम अंकित है और न ही विभागीय जाँच के क्रम में किसी गवाह से पूछ-ताछ की गई है जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध पूर्व में संचालित विभागीय जाँच में व्याप्त इन्हीं त्रुटियों के आधार पर अपीलार्थी को माननीय उच्च न्यायालय के C.W.J.C No.7124/2023 में पारित आदेश के द्वारा राहत प्रदान किया गया था।
2. उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के C.W.J.C No.7124/2023 में पारित आदेश में अंकित है कि :-

"It is needless to say that breath analyzer report is not a conclusive proof of consuming the liquor by a person in Bachubhai Hassanalli Karyani vs State of Maharashtra reported in (1971) 3 SCC 930. The Hon'ble Supreme Court held that no conclusion with regard to consumption of alcohol by a person can be made on the facts that the appellants breath was smelling of alcohol, that his gait was unsteady, that his speech was incoherent and that his pupils were dilated. Comsumption of alcohol can only be ascertained by way of blood and urine test of a person, suspected to have consumed alcohol.

The Hon'ble Supreme Court found that the blood and urine examination of the appellant was not done and finally held that the mere smelling of alcohol is not enough to hold that the petitioner consumed alcohol on the date of his apprehension, i e, on 16th of January, 2020.

Thus, this Court holds that breath analyzer report is not a conclusive proof of consumption of alcohol by the petitioner."

Thus, it is quite clear that the breath analyzer report is not a conclusive proof of consumption of alcohol by the petitioner.

Dealing with the issue, the Supreme Court, in the case of State of Uttar Pradesh & Others -Versus- Saroj Kumar Sinha, (2010) 2 SCC 772 observed and held as under:

"An inquiry officer acting in a quasi-judicial authority is in the

position of an independent adjudicator. He is not supposed to of be a representative the department/disciplinary authority/ Government. His function is to examine the evidence presented by the Department, even in the absence of the delinquent official to see as to whether the unrebutted evidence is sufficient to hold that the charges are proved. In the present case, the aforesaid procedure has not been observed. Since no oral evidence has been examined, the documents have not been proved, and could not have been taken into consideration to conclude that the charges have been proved against the respondents."

A close scrutiny of the facts of this case in hand clearly shows that in this case though charge memo has been given to the petitioner but there was neither list of witnesses submitted nor any witness was examined during the course of enquiry. The charges levelled against the petitioner has been proved only on the basis of breath analyzer report which is not a conclusive proof of consumption of alcohol, as observed by a coordinate Bench of this Court in the case of Dharmraj Singh (supra). Apart from that, there is also no material on record which shows that who was the person who produced or proved the breath analyzer report during the course of enquiry. Thus, the conclusion, as arrived by the enquiry officer, is baseless and unsustainable in the eyes of law.

Since, there is no material on record to sustain the allegation against the petitioner, the finding of the enquiry officer, which has been accepted by the disciplinary authority and affirmed by the appellate authority, are perverse. They cannot be made the basis for dismissal of the petitioner. Therefore, the order of dismissal dated 26.03.2022 passed by the District Magistrate, Supaul and order of the appellate authority dated 10.11.2022 passed by the Divisional Commissioner, Koshi Division, Saharsa are hereby quashed.

The writ petition is allowed.

As a result of quashing of both the orders, the respondents are directed to reinstate the petitioner forthwith with all consequential benefits.

3. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C No.7124/2023 में दिनांक 10.01.2025 को पारित आदेश की जानकारी रहने के बाबजूद प्रश्नगत मामले में न तो जाँच पदाधिकारी ने अपने जाँच क्रम में इस तथ्य को संज्ञान में लिया गया और न ही अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा ही इस दिशा में कोई आवश्यक कार्रवाई की गई।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C No.7124/2023 में पारित आदेश के आलोक में अपीलार्थी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को त्रुटिपूर्ण पाते हुए अपीलार्थी के इस अपीलवाद को स्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध अधिरोपित दंड को निरस्त किया जाता है। यह आदेश आपराधिक मामला में सक्षम न्यायालय के निर्णय के फलाफल से प्रभावित रहेगा। इसी के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय से प्राप्त मूल संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा